



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277451
CG-DL-E-27102026-277451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 846]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 846]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026

सं. 04/2026-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 918(अ).— सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को या निर्यात के लिए माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय;

(ii) निर्यात के लिए माल या सेवा या दोनों की प्रदाय;

(iii) किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त माल या सेवा या दोनों की ऐसी प्रदाय, जिस पर कर का संदाय ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाना है; या

(iv) सेवाओं का आयात,
के संबंध में,”।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

कृति पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, सा.का.नि. 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 10/2023-केंद्रीय कर, तारीख 10 मई, 2023, सा.का.नि. 355(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2025 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2026

No. 04/2026— Central Tax

G.S.R. 918(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the further following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13/2020 - Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 196(E), dated the 21st March, 2020, namely: -

In the said notification, in the first paragraph, for the words “in respect of supply of goods or services or both to a registered person or for exports”, the following shall be substituted, namely: -

“in respect of, -

- (i) supply of goods or services or both to a registered person; or
- (ii) supply of goods or services or both for exports;
- (iii) supply of goods or services or both received from an unregistered person where the tax is payable on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both; or
- (iv) import of services”.

2. This notification shall come into force on the first day of January, 2027.

[F. No. CBIC-20001/1/2026-GST]

KRITI PANDEY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No. 13/2020-Central Tax, dated the 21st March, 2020 published, vide number G.S.R. 196(E), dated the 21st March, 2020 and were last amended, vide notification No. 10/2023-Central Tax, dated the 10th May 2023 vide number G.S.R. 355(e), dated the 31st October, 2025.